कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक,इलाहाबाद

आदेश संख्या– बो0प0/ 17392-97 /2017–18 दिनांक 24-1-2018

केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्ति आदेश

एतद्द्वारा शासनादेश संख्या 1584/15–7–2017–1(118)/2010 शिक्षा अनुभाग(7) लखनऊ दिनांक 16.10.2017 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षा वर्ष 2018 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा में जनपद इलाहाबाद में नियुक्त केन्द्र व्यवस्थापक की संलग्नक सूची में अंकित विवरण के अनुसार केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त की जाती है और उन्हें निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 06.02.2018 से प्रारम्भ होने वाली उक्त परीक्षा से सम्बन्धित सभी प्रारम्भिक तैयारियॉं पूर्ण सजगता एवं सर्तकता के साथ पूरी करके शासन/विभाग की मंशानुसार नकल विहीन, सुचिता पूर्ण, शांति पूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध मे यह भी अवगत कराया जा रहा है कि उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण लोक महत्व से जुड़ा हुआ है। अतः इसमें किसी प्रकार की आना–कानी या जानबूझ कर अनुपस्थित होने पर शासनादेश संख्या 691/15–7–99–1(61)/1999 दिनांक 26.03.99 द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनहित में सौपे गये उक्त कर्तव्यों के निर्वहन से अनुपस्थित मानते हुए परिषद के नियम संग्रह के अध्याय तीन(सेवा की शर्ते)के विनियम 109 के अनुसार सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः उक्तवत।

24.01.18

(आर0एन0विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

पृ0सं0 : बो0प0/ /2017–18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, इलाहाबाद।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. संयुक्त शिक्षा निदश।क, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद
4. अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
5. सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यो को उक्त के अनुपालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सम्बन्धित केन्द्रव्यवस्थापक को उक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

(आर0एन0विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद